राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2540/2024

बाबुलाल मीना

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त सह विशिष्ट सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.08.2024
आदेश की दिनांक : 16.08.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति परिवहन विभाग में दिनांक 20.10.1986 को अस्थाई रूप से हुई थी। वर्ष 1992 में अपीलार्थी को स्थाई किया गया। अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर 1998–99 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी की आगामी पदोन्नति के लिए अपीलार्थी से विकल्प नहीं मांगा गया। अपीलार्थी को वरीयता सूची में क्रम संख्या 145 पर रखा जाना चाहिए था परंतु उसे क्रम संख्या 152 पर रखा गया और चयन वर्ष 2000 बताया गया, जो गलत है। इस कारण से अपीलार्थी को आगामी पदोन्नति के लिए भी पीछे किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने समय–समय पर प्रत्यर्थी विभाग में अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत कियें, परंतु अपीलार्थी के अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी उपरोक्त मांगों के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अपना अध्ययन प्रस्तुत करना चाहता है, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग आख्यात्मक आदेश पारित करें।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के

समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)